



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 709]
No. 709]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 22, 2013/चैत्र 1, 1935
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 22, 2013/CHAITRA 1, 1935

उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
(भांडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2013

क्र.अ. 817(अ).—भांडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण, भांडारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भांडारण में भंडारण के लिए निम्नलिखित कृषि वाणिज्यों को अवधारित करती है, अर्थात् :—

1. टेबल [पोटेयो आईसोप्रागिल एन-क्लोरोफेनाइल कार्बोमेट सहित या उसके बिना, क्लोरोफाम (सीआईपीसी) उपयोग के रूप में ज्ञात]
2. आलू बीज
3. प्रसंस्करण [क्लोरोफाम (सीआईपीसी) उपयोग सहित आलू]
4. निर्धारित वातावरण (सीए) भंडार में सेब
5. गाजर
6. नागपुर मंदारिन
7. खासो/वाकिशिंग या एनई अरंज
8. कीनू
9. मधुर लहसुन
10. लेमन
11. पोमोरोनेट

12. अंगूर
13. चाय
14. किरमिश
15. प्याज (ताजे या निर्जलित)
16. लहसुन (ताजे या निर्जलित)
17. अदरक (ताजे या निर्जलित)
18. शुष्कित खाद्ययोग्य मशरूम
19. लाल मिर्ची
20. घनिया (शुष्क)
21. दालचीनी
22. हल्दी
23. इमली
24. डेट पाम
25. मूल भागवानी की प्रशोधित प्रसंस्कृत खाद्य मद, जिसके अंतर्गत की प्रशोधित मद भी है जो अलग-अलग शीघ्र प्रशोधित (आईक्यूएफ) या ब्लास्ट फ्रीजिंग है।
26. बीज और कंद

2. पैठ 1 में निर्दिष्ट कृषि वाणिज्य, एगमार्क गुणवत्ताक विनिर्देश या मानकों को पुरा करेंगे :

परंतु यदि एगमार्क मानक, उन वाणिज्यों के लिए विद्यमान नहीं है तो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों द्वारा अधिकृत ब्यालिटी मानक लागू होंगे।

3. राष्ट्रीय परीक्षण और अंशरतोधन प्रत्यायन बोर्ड द्वारा अधिसूचित प्रयोगशाला प्रत्यायित प्रयोगशालाएँ और भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों द्वारा मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं के रासायनिक या सहस्रद्व प्रयोगशाला विरलेषणों की अपेक्षा करने वाले वाणिज्यों के संबंध में प्रयोगशाला परीक्षण के लिए प्रधिकृत किया जाता है।

[फा. सं. 27-1/2010-इन्स्प्यूडीआरए (अधिसूचना)]

यतिंदर प्रसाद, निदेशक (प्रशा. और विच./इन्स्प्यूडीआरए)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

(WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2013

S.O. 817(E).—In exercise of the powers conferred by clause (n) of sub-section (2) of Section 35 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007), the Warehousing Development and Regulatory Authority, hereby determines the following agricultural commodities for storage in the warehouses namely:—

1. Table potatoes [with or without Isopropyl N-Chlorophenyl Carbamate also known as Chlorpropham (CIPC) application]
2. Seed potatoes
3. Processing [Potatoes with Chlorpropham (CIPC) application]
4. Apples in Controlled Atmosphere (CA) storage
5. Carrots
6. Nagpur Mandarin
7. Khasi/Drajeeling or NE Oranges
8. Kinnow
9. Sweet lime

10. Lemon
11. Pomegranate
12. Grapes
13. Almond
14. Raisins
15. Onion (Fresh or dehydrated)
16. Garlic (Fresh or dehydrated)
17. Ginger (Fresh or dehydrated)
18. Dried edible mushrooms
19. Red chillies
20. Coriander (dry)
21. Cinnamon
22. Turmeric
23. Tamarind
24. Date Palm
25. Frozen Processed Food item of horticulture Origin including those frozen Individually Quick Frozen (IQF) or Blast Freezing.
26. Seeds and bulbs

2. The agricultural commodities referred to in para 1 shall fulfil the Agmark Qualitative specifications or standards:

Provided that if the Agmark standards do not exist for those commodities, the quality standards laid down by the Central Government or State Governments or autonomous bodies shall be applicable.

3. The Agmark laboratories, accredited laboratories notified by the National Accreditation Board for Testing and Calibration and laboratories recognised by the Bureau of Indian Standards (BIS) or the Central Government or State Governments or autonomous bodies are authorized for laboratory testing for commodities requiring chemical or allied laboratory analyses.

[F.No.27-1/2010-WDRA (Notification)]

YATINDER PARSAD, Director (Admn. and Fin./WDRA)